

(+) Interest due Rs. _____

(-) Recovery of overpaid interest Rs. _____

Deduction if any Rs _____

Total Amount due Rs _____

Pay Rs. _____ (in figures) _____ (in words)

Date

Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by depositor)

Received Rs . _____ (In figures) _____ (in words) By cash/cheque/DD bearing no.....dated...../by transfer to Account No.....

Place:

Date: _____ Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 922(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1.) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम, 2019 है।

(2.) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा: (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) "खाता धारक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम खाता धारित हो;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ड) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;

(च) "वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम और साधारण नियमों में हैं।

3. खातों के प्रकार:- (1) सावधि जमा खातों के चार प्रकार होंगे, अर्थात् एक वर्षीय खाता, दो वर्षीय खाता, तीन वर्षीय खाता तथा पांच वर्षीय खाता जिसमें क्रमशः, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए निक्षेप किया जा सकेगा।

4. खातों के प्रकार:- (1) कोई खाता प्ररूप-1 में आवेदन करके निम्नलिखित द्वारा खोला जा सकेगा,-

(i) एकल वयस्क;

(ii) संयुक्त नामों में अधिकतम तीन वयस्कों द्वारा;

(iii) ऐसा अवयस्क जिसने दस वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(iv) अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से संरक्षक।

(2) एक व्यक्ति का अपने नाम पर या किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से एक से अधिक खाता हो सकेगा।

5. जमा और प्रतिसंदाय :- (1) खाते में केवल एक बार एक हजार रुपये से अनधिक और एक सौ रुपये के गुणक में कोई जमा होगी।

(2) जमा यथास्थिति, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष या पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रतिदाय होगी। खाते में जमा लेखा कार्यालय को प्रस्तुत प्ररूप-2 में आवेदन पर खाता धारक को पुनःसंदत्त की जा सकेगी।

6. खाते का विस्तार:- (1) जहां खाते में जमा प्रतिसंदाय हेतु देय हो गई है, खाताधारक अपने विकल्प से एक अन्य समयावधि के लिए उस खाते का विस्तार कर सकता है जिसके लिए खाता आरंभ में खोला गया था।

(2) जहां यह विस्तार उप-पैरा (1) के अधीन किया गया है, विस्तार के लिए विकल्प का प्रयोग नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा:

सारणी

क्र.सं	खाते का प्रकार	प्रतिसंदाय की तारीख से अवधि जिससे विस्तार के लिए विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा।
(1)	(2)	(3)
1.	एक वर्ष	छह मास
2.	दो वर्ष	बारह मास
3.	तीन वर्ष	अठारह मास
4.	पांच वर्ष	अठारह मास

(3) जहां उप-पैरा 2 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जमा के विस्तार के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, प्रतिदाय की तारीख पर स्कीम के अधीन खाते के प्रकार पर लागू ब्याज देय होगा।

(4) खाताधारक को उप-पैरा 2 के अनुसार खाते का विस्तार आरंभिक प्रतिसंदाय की तारीख के पश्चात केवल दो बार ही अनुज्ञात होगा।

(5) उप-पैरा (1) के अनुसार खाते के विस्तार का विकल्प का प्रयोग खाताधारक द्वारा खाता खोलते समय भी किया जा सकेगा। तथापि, खाताधारक प्रतिसंदाय की तारीख से पहले कभी भी खाते के विस्तार के विकल्प का प्रतिसंहरण कर सकेगा।

7. ब्याज की दर (1) इस स्कीम के अधीन जमा को ब्याज की दर नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में होगी:--

क्र.सं	खाते का प्रकार	ब्याज की दर (प्रतिशत/वार्षिक)
(1)	(2)	(3)
1.	एक वर्ष	6.9
2.	दो वर्ष	6.9
3.	तीन वर्ष	6.9
4.	पांच वर्ष	7.9

(2) जहां ब्याज रुपये के अंश रूप में हो और ऐसा अंश पचास पैसे या इससे अधिक का हो तो इसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और यदि ऐसा अंश पचास पैसे से कम हो, तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

(3) खाता खोलने की तारीख पर लागू दर परिपक्वता तक लागू रहेगी।

(4) ब्याज वार्षिक रूप से देय होगा और वर्ष की गणना उस तारीख से की जाएगी जब खाता खोला गया है।

(5) यदि ब्याज के संदाय की तारीख गैर कार्यदिवस पर पड़ती है, तो संदाय ठीक इसके पूर्ववर्ती कार्यदिवस पर देय हुआ माना जाएगा।

(6) कोई अतिरिक्त ब्याज उस ब्याज रकम पर देय नहीं होगा जो संदाय के लिए देय से गई है परंतु खाताधारक द्वारा आहरित नहीं की गई है।

(7) वार्षिक ब्याज खाताधारक के बचत खाते में उसके विकल्प पर प्रत्यय किया जाएगा।

8. परिपक्वतापूर्व खाता बंद करना:- निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्ररूप-4 में खाता धारक द्वारा आवेदन पर खाता किसी भी समय बंद किया जाना अनुज्ञात होगा, अर्थात्:--

(क) जमा करने की तारीख से छह मास समाप्त होने से पहले कोई जमा आहरित नहीं की जाएगी;

(ख) जहां एक वर्षीय, दो वर्षीय, तीन वर्षीय अथवा पांच वर्षीय खाते में जमा परिपक्वतापूर्व छह मास के पश्चात किंतु जमा करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने से पहले आहरित की जाती है, तो खाताधारक को पूरे किए गए मासों के लिए डाकघर बचत खाता पर लागू दर से ब्याज देय होगा।

(ग) जहां दो वर्षीय, तीन वर्षीय अथवा पांच वर्षीय खाते में जमा परिपक्वतापूर्व जमा करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात आहरित की जाती है, तो खाताधारक को ब्याज जमा करने की तारीख पर आरंभ करके आहरण की तारीख के साथ समाप्त होकर पूरे किए गए वर्षों तथा मासों के लिए देय होगा और इस पर ब्याज उस दर पर परिकलित होगा जो एक वर्ष, दो वर्ष अथवा तीन वर्षों, यथास्थिति हो, से जमा के लिए विनिर्दिष्ट दर की तुलना में दो प्रतिशतांक बिंदु कम होगा तथा पूरा किए गए वर्ष के लिए ब्याज पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार तिमाही रूप से चक्रवृद्धि आधार पर परिकलित होगा तथा वर्ष के किसी एक भाग के लिए उप-पैरा (ख) के उपबंधों के आधार पर ब्याज देय होगा।

परंतु कि यदि पांच वर्षीय सावधि जमा खाता जमा की तारीख से चार वर्ष के पश्चात बंद कर दिया जाता है, तो इस पैरा के अधीन ब्याज के परिकलन हेतु तीन वर्षीय सावधि जमा खाता के लिए अनुज्ञेय दर लागू होगी।

(घ) पैरा 7 के अधीन जमा पर पहले ही संदत्त कोई ब्याज इस पैरा के अधीन प्रतिदेय जमा ब्याज की प्रतिसंदाय और जमा में से वसूल किया जाएगा।

9. खाता गिरवी रखना-(1) किसी खाते को, जमाकर्ता द्वारा, गिरवीदार से स्वीकृति पत्र के साथ समर्थित, प्ररूप-5 में आवेदन पर प्रतिभूति के रूप में गिरवी या स्थानांतरित किया जा सकेगा।

(2) इस नियम के अधीन किसी खाते का स्थानांतरण निम्नलिखित को किया जा सकेगा:--

- (क) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उसकी पदीय हैसियत में;
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसायटी जिसके अंतर्गत कोई सहकारी बैंक भी है;
- (ग) कोई पब्लिक या प्राइवेट सहकारी या सरकारी कंपनी;
- (घ) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या
- (ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई आवास वित्त कंपनी:

परंतु यह कि किसी ऐसे खाते का अंतरण जो किसी अव्यस्क या विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से खोला गया है, का इस नियम के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक यथास्थिति ऐसे अव्यस्क या ऐसे विकृत चित्त व्यक्ति का संरक्षक, यथास्थिति, लिखित रूप में प्रमाणित न कर दे कि ऐसा अव्यस्क और विकृत चित्त व्यक्ति, यथास्थिति, जीवित है और अंतरण और ऐसे अव्यस्क विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए है।

(3) जब कोई खाता उपनियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया जाता है, प्राधिकृत अधिकारी खाते जिसके अंतर्गत बचत प्रमाणपत्र भी है, के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात्:--

".....को प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया है।"

(4) इस स्कीम में अन्यथा यथाउपबंधित के सिवाय, इस पैरा के अधीन किसी खाते का अंतरित जब तक यह उप-पैरा (5) के अधीन पुनःअंतरित नहीं कर दिया जाता है, जमाकर्ता समझा जाएगा।

(5) इस नियम के अधीन स्थानांतरित किया गया कोई खाता, अंतरित के लिखित प्राधिकार पर प्राधिकृत अधिकारी की लिखित में पूर्व मंजूरी के साथ वापस स्थानांतरित की जाए और जब कोई ऐसा पुनःअंतरण किया जाता है तो लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी खाते, जिसके अंतर्गत बचत प्रमाणपत्र भी है, के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात्:--

".....को पुनःअंतरित किया गया है।"

(6) कोई नेत्रहीन या शरीरिक अक्षमता वाला व्यक्ति जो खाते के संचालन में उसे अक्षम बनाती है, अपनी जमा की गिरवी किसी साक्षर व्यक्ति जिसे वह इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करे, कर सकेगा।

10. खाता धारक की मृत्यु पर संदाय – (1) किसी एकल खाते में जमाकर्ता या किसी संयुक्त खाते में सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु की दशा में खाते में जमा, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या विधिक वारिस(सों) को संदेय होगा।

(2) यदि दो या दो से अधिक नामनिर्देशिती हैं, खाते में जमा, नामनिर्देशन करते समय जमाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपात में संदत्त किया जाएगा और यदि ऐसा अनुपात या अंश विनिर्दिष्ट नहीं है तो सभी उत्तरजीवी नामनिर्देशितियों को समान अनुपात में संदत्त किया जाएगा।

(3) यदि किसी नामनिर्देशिती की मृत्यु होती है तो जमा की रकम में उसका विनिर्दिष्ट अंश उत्तरजीवी नामनिर्देशितियों के बीच समान अनुपात में उनके विनिर्दिष्ट अंशों के अनुसार वितरित किया जाएगा।

(4) यदि उत्तरजीवी नामनिर्देशिती अव्यस्क है तो संदाय, जमाकर्ता द्वारा ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए नियुक्त ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है तो अव्यस्क के संरक्षक को किया जाएगा।

(5) जहां तीन या तीन से अधिक उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या विधिक वारिस हैं, वे अपने विकल्प पर खाते को जारी रख सकेंगे और इस स्कीम में उपबंधित रीति में ब्याज के साथ जमा की रकम प्राप्त कर सकेंगे, जैसे उन्होंने खाता खोला हो यदि वे इस स्कीम के अधीन अन्यथा पात्र हैं।

(6) जहां उप-पैरा (5) के अधीन खाता जारी नहीं रहता है तो वह बंद कर दिया जाएगा वहां खाते में जमा की रकम ब्याज सहित संदत्त की जाएगी और ऐसा ब्याज ऐसी अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जिसके लिए जमा लेखा कार्यालय में रही है और ऐसे ब्याज की दर निम्न प्रकार संदत्त की जाएगी:-

- (i) पैरा 7 में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसे पूर्ण वर्षों के लिए जो जमा की अवधि से अधिक न हो; और
- (ii) उसके पश्चात् किसी ऐसी अवधि के लिए जो समय-समय पर डाकघर बचत खातों को लागू दर पर पूर्ण किए हुए मासों के लिए।

(7) किसी संयुक्त खाते में एक या दो खाता धारकों की मृत्यु पर उत्तरजीवी खाताधारक(कों) को, यदि कोई है खाते का स्वामी या खाते के स्वामी के रूप में माना जाएगा और ऐसा खाताधारक या ऐसे खाताधारक उप-पैरा (5) और उप-पैरा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में खाते को जारी रख सकेंगे या बंद कर सकेंगे।

11. साधारण नियमों का लागू होना:- साधारण नियम के उपबंध, उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।

12. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो गया है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाता धारक को असम्यक् कष्ट होता है, यह ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं आदेश द्वारा उस उपबंध की अपेक्षा को ऐसी रीति में जो अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हों, शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस (भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

[पैरा 4 का उप - पैरा 1 देखिए]

(खाता खोलने के लिए आवेदन)

सेवा में,

पोस्टमास्टर/प्रबंधक

आवेदक/आवेदकों का फोटो
चिपकाएं

श्रीमान,

मैं/हम ------(खाता धारक(कों)/संरक्षक) आपके डाक घर /बैंक में 1/2/3/5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूं/हैं।

मैं/हम,-----रुपए/- ------(-----शब्दों में रुपए) नकद/चैक/डिमांड ड्राफ्ट संख्यांक-----तारीख-----आरंभिक जमा के रूप में निविदा करता हूं / हैं। मेरी /हमारी विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं:-

1. प्रथम जमाकर्ता का नाम-----

पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक का नाम-----

जन्म की तारीख------(दिदि/मम/वववव)

शब्दों में.....

2. दूसरे जमाकर्ता का नाम-----

पति/पिता/माता का नाम-----

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

शब्दों में.....

3. तीसरे जमाकर्ता का नाम-----

पति/पिता/माता का नाम-----

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

शब्दों में.....

4. अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति खाताधारक का नाम

पिता/माता/संरक्षक का नाम

जन्म की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

शब्दों में.....

5. खाताधारक(कों) का आधार संख्यांक.....

6. खाताधारक(कों) का स्थायी खाता संख्यांक.....

7. वर्तमान पता.....

स्थायी पता.....

8. संपर्क ब्यौरे टेलीफोन नं.

मोबाइल नं.-----

ई-मेल आईडी-----

9. खाते का प्रकार एकल या संयुक्त या अवयस्क के मामले में संरक्षक के माध्यम से या विकृतचित्त व्यक्ति या नेत्रहीन या दिव्यांगजन किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से

10. (*) अवयस्क के जन्म की तारीख के ब्यौरे

(अवयस्क के खाते के मामले में लागू)

(क) प्रमाणपत्र सं.

(ख) जारी होने की तारीख.....

(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी.....

11. (*) संरक्षक(प्राकृतिक/विधिक) का नाम

(अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से खाता खोले जाने की दशा में)

12. अन्य संलग्न केवाईसी दस्तावेजों के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत.....

2. पते का सबूत.....

निम्नलिखित दस्तावेज पहचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं: 1. पासपोर्ट 2. चालन अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा जारी, राज्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाँब कार्ड 5. नाम और पते के ब्यौरे सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र;

13. खाते का संचालन धारक(कों) (संयुक्त खाते के मामले में) जमाकर्ता/कों		(क) सभी धारकों या उत्तरजीवी द्वारा (ख) धारक/कों द्वारा या उत्तरजीवी द्वारा
14. मेरा /हमारे नमूने हस्ताक्षर		
1. (नाम).....	2.....	3.....
2. (नाम)	2.	3.....
3. (नाम).....	2.	3.....
4. (नाम)	2.....	3.....

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूँ।

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

तारीख-----

नाम निर्देशन

16. मैं/हम नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूँ जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम 1/2/3/5 वर्ष में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगी:

क्र.सं.	नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के नाम) और	पूरा पता(पते)	नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक	अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के	हकदारी का अंश	हकदारी की प्रकृति, न्यासी या

	संबंध		नाम (वैकल्पिक)	जन्म की तारीख		स्वामी
1						
2						
3						
4						

चूंकि क्रम संख्या (कों)----- विनिर्दिष्ट नाम निर्देशिनी (यां) अवयस्क है/हैं, में श्री/श्रीमती/कुमारी-----
-----पुत्र/पुत्री/पत्नी-----निवासी-----को नाम निर्देशिनी/नाम निर्देशितियों की
अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधीन देय राशि को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं।

1. साक्षी के हस्ताक्षर-----

नाम और पता-----

2. साक्षी का नाम-----

नाम और पता-----

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

स्थान-----

तारीख-----

पोस्टऑफिस/बैंक के प्रयोग हेतु

यह खाता -----के नाम में तारीख -----को रु. -----के आरंभिक जमा के साथ -----
-----स्कीम के अधीन (स्कीम का नाम) खाता संख्यांक-----तारीख-----द्वारा
खोला गया है।

ग्राहक पहचान संख्यांक-----

नाम निर्देशन संख्यांक -----तारीख-----द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररूप 2

[पैरा 5 का उप पैरा 2 देखें]

(खाता बंद करने के लिए आवेदन)

पोस्ट ऑफिस/बैंक का नाम-----

तारीख

खाता संख्यांक

1. मैं/हम पासबुक /जमा रसीद प्रस्तुत करता हूँ और अपने/हमारे तारीख -----को परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित खाता को बंद करने के लिए आवेदन करता हूँ।

2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का प्रत्यय मेरे बचत बैंक खाता संख्यांक-----स्थित -----(खाता कार्यालय का नाम) करें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले नाम चैक जारी करें

या

कृपया नकद संदाय करें (अनुज्ञेय सीमा से नीचे रकम होने के मामले में लागू)

*प्रमाणित किया जाता है कि खाते में धृत रकम -----जो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है।

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

(लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमाणित की जानी चाहिए)

संदाय आदेश

(केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु)

तारीख-----

संदाय ब्यौरा

मूल रकम रुपए-----

(+) देय ब्याज रुपए-----

(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए-----

कटौती, यदि कोई हो, रुपए-----

कुल देय रकम रुपए-----

रुपए -----(अंको में) -----(शब्दों में) का संदाय करें।

स्थान-----

तारीख-----

पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

भुगतान

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)

रुपए------(अंको में) ------(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक -----तारीख-----
-----/खाता संख्यांक -----को अंतरण द्वारा, प्राप्त किए।

स्थान:

तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक(कों) के हस्ताक्षर

प्ररूप 3

**[पैरा 6 का उप पैरा 1 देखिए]
(खाते की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन)**

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

श्रीमान,

1. मैं/हम-----आपके कार्यालय में 1/2/3/5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम के अधीन खाता संख्यांक-----के जमाकर्ता हूँ/हैं। उक्त खाता तारीख-----को ,खोला गया था और संदाय के लिए तारीख-----को परिपक्व हो गया है /होगा। हम उपरोक्त खाते के परिपक्वता की तारीख से (स्कीम के नियम 10/11 के अनुसार -----वर्ष(वर्षों) की अवधि के लिए खाते का विस्तार करने के लिए अनुरोध करते हैं।

2. मैंने/हमने उक्त स्कीम के अधीन समय-समय पर यथा संशोधित, विस्तार की अवधि के दौरान खाते को लागू निबंधनों और शर्तों को समझ लिया है और उनका पालन करूंगा/करेंगे।

स्थान:

तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर

(नाम और पता)

लेखा कार्यालय के प्रयोग हेतु

खाता संख्या -----जो -----रूप के साथ(अंकों में)-----शब्दों में-----स्कीम का नाम के अधीन खोला गया था , का स्कीम -----के नियम -----के अधीन तारीख-----से -----वर्ष की अवधि के लिए विस्तार कर दिया गया है।

अभिलेखों और पासबुक/जमा रसीद/खाता विवरण में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं।

स्थान:

तारीख:

पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

मुद्रा

प्ररूप 4

[पैरा 8 देखिए]

(परिपक्वता पूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

1. मैं/हम अपने /हमारे खाता संख्यांक-----जिसमें -----रुपए (रुपए-----केवल) अतिशेष हैं जो 1/2/3/5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम के अधीन खोला गया था को परिवक्वता पूर्व बंद करना चाहता हूँ/हैं और आपसे नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार लागू शास्ति की कटौती के पश्चात् रकम के संदेय का अनुरोध करता हूँ/हैं।

कृपया मेरे बचत खाता संख्यांक-----स्थित -----(खाता कार्यालय का नाम) को रकम का प्रत्यय करें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें

या

कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से निम्न हो)

3. मैं/हम घोषणा करते हैं कि 1/2/3/5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम के अधीन ऐसी शर्तों की अनुपालना की गई है जिसके अधीन परिपक्वता से पूर्ण खाता बंद किया जा सकता है।

*प्रमाणित किया जाता है कि खाते में धृत रकम -----जो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है।

तारीख:.....

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

.....

(लेखा कार्यालय को जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जमाकर्ता के अंगूछा छाप प्रमाणित किए जाने चाहिए)

केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु

संदाय के ब्यौरे

खाते में अतिशेष

काटी गई शास्ति की रकम.....रुपए

संदत्त की जाने वाली कुल रकम.....(अंकों में)

(शब्दों में).....

तारीख मुद्रा..... पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

भुगतान

(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)

रुपए----- (अंको में) ----- (शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक -----तारीख-
-----/खाता संख्यांक -----को अंतरण, द्वारा, प्राप्त किए।

स्थान:

तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक(कों) के हस्ताक्षर

प्ररूप 5

[पैरा 9 के उप-पैरा (1) देखें]
(खाते को गिरवी के लिए आवेदन)

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

श्रीमान,

1. मैं/हम-----रूप की रकम का निक्षेप प्रतिभूति के रूप में----- (सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी का शासकीय पदनाम या भारतीय रिजर्व बैंक का नाम या किसी अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी निगम, सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी) को, करना अपेक्षित है। अतः मैं/हम आपसे 1/2/3/5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि स्कीम के अधीन खाता संख्यांक-----में निक्षेप ----- (अधिकारी का शासकीय पदनाम या ब्रांच का नाम आदि जिसे प्रतिभूति के रूप में खाता गिरवी रखा जा रहा है) अंतरण अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

2. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि खाता/(ते) गिरवीदार द्वारा तब भुगतान कराया जा सकता है जब प्रतिभूति उन्मोचित कर दी गई है। खाते में पंजीकरण संख्यांक----- द्वारा नाम निर्देशन निरस्त किया जाता है।

खाते की विशिष्टियां

खाता संख्यांक	तारीख	लेखा कार्यालय का नाम	रकम

उपरोक्त उल्लिखित प्राधिकारी गिरवी स्वीकृत करने के लिए सहमत हो गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित गिरवी स्वीकृति गिरवीदार के रूप में संलग्न है।

तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर

पता.....

केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु

खाता संख्यांक-----रजिस्ट्रीकरण संख्या-----तारीख-----द्वारा गिरवी रखा गया है और आवश्यक प्रविष्टियां अभिलेख में चिन्हित की गई हैं। पासबुक /जमा रसीद /खाते का विवरण भी गिरवी के साथ चिन्हित किया गया है और खाता धारक को वापस कर दिया गया है।